

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी ।
पीवासीन अधिकारी श्री गोपाल परिहार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या:- 35/2017

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01.शंकरराम पुत्र श्री हडमानराम जाति कलबी निवासी ग्राम धुथाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.रामाराम पुत्र श्री हडमानराम 02.पोकसराम पुत्र श्री हडमानराम जातियान कलबी निवासीग्राम ग्राम धुथाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 03. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी ।

सावा वास्ते बंटवाड़ा एवं रेकर्ड डुरुस्ती अर्लीगता धारा 53,188 राज.कायदा अधिनियम।

अधिवक्तागण:-

- 01.वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोलकी ।
02.प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्द प्रकाश।

निर्णय

दिनांक :- 10/06/2022

प्रकरण में दिनांक 07.07.2021 को प्राथमिक डिक्री एवं आदेश जारी किये गये जिसकी अनुपालना में तहसीलदार लूणी द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव जरिये क्रमांक/मू.अ./22/2463 दिनांक 06.06.2022 के जरिये पेश किया गया जो कि शामिल निशल किया गया । मौका फर्द (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 17.05.2022 अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मौके पर काबिज अनुसार का नजरी नक्शा एवं खातेदारों के हिस्से का अंकन किया हुआ है जो कि निम्न प्रकार से है:-

01.शंकरराम पुत्र श्री हडमानराम जाति कलबी निवासी ग्राम धुथाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर।

:-खसरा संख्या 251/2 रकबा 2.8759 हैक्टेयर,

01.रामाराम पुत्र श्री हडमानराम

02.पोकसराम पुत्र श्री हडमानराम जातियान कलबी निवासीग्राम ग्राम धुथाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर।

:-खसरा संख्या 251/2 रकबा 4.8941 हैक्टेयर,

:-खसरा संख्या 252/1 रकबा 0.8579 हैक्टेयर

कुल खसरा 02 रकबा 5.7520 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार बंटवाड़ा एवं बंटवाड़ा प्रस्ताव में अंकित नजरी नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार अलग अलग दशाय गये है ऐसी स्थिति में तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाड़ा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 17.05.2022 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अलग अलग करते हुए राजस्व रेकार्ड में इन्दाज करने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते हैं । बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 17.05.2022 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेगी । आदेश सुनाया गया पत्रावली फैशल शुगर हाकर दाखिल दफतर हों ।



(गोपाल परिहार) RAS

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी ।
रूणी

डिग्री यमुकदमें इत्यादी
(अर्द्ध 20, नियम 0-7, जाया तीवानी)
अज अवालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी ।
पिठारीन अधिकारी श्री गोपाल परिहार, (आर.ए.परा.)

राजस्व वाद संख्या :- 35/2017

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01.शंकरराम पुत्र श्री हजमानराम जाति कलकी निवासी ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.सामाराम पुत्र श्री हजमानराम 02.पोकरराम पुत्र श्री हजमानराम जातियान कलकी निवासीयान ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 03. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी ।

दाया बाबत बेटवाडा एवं रथायी गिफेधाना अन्तगत धारा 63 राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955, मुकदमा नं 35/2017 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलारा किलई रु-ब-रु हगारे बहाजरी वादी गिनजागिब मुददई व प्रतिवादी गिनजागिब मुदायलाह वग होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री सी जाती है कि:-

अतः आदेश हैं कि वादी का वाद तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाता है तहसीलदार लूणी विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सों का अमल दरामद करें ।

नीज.....मुबलिक.....बाबत..... खर्चा इस मुकदमें के गय रूद व वगैरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयादी तक को अदा करें ।

बसीबत मेरे दस्तखत व मुहम अदालत आज दिनांक 10/10/2017 को जारी की गयी ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

मुदाई	रु.	मुदायलाह रु
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प
वकालतनामा		वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत		स्टाम्प वजह सबूत
महनताना वकील		महनताना वकील
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर
बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिफ गीजान		बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिफ गीजान

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी